

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

संचिका सं.CICOM/R/2019/00251

दिनांक 18.03.2019

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,
जे-14, झालना इंस्टीट्यूशन एरिया,
झालना दुंगरी, जयपुर,
राजस्थान - 302051.

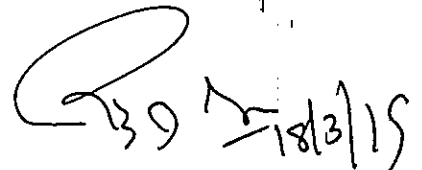
विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आर.टी.आई. आवेदन का अग्रेशन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजस्थान सूचना आयोग को प्रेषित आवेदक श्री हरीश चन्द्र जांगिड़ का दिनांक 20.01.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे राजस्थान सूचना आयोग द्वारा दिनांक 05.03.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि दिनांक 14.03.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में तथा दिनांक 15.03.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है जो कि आपके विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित है ।

उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आपको अग्रसारित किया जाता है । कृपया सूचना अधिकार अधिनियम में उपलब्ध प्रावधानों के तहत वांछित सूचना निर्धारित अवधि के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि वांछित सूचना आपसे संबंधित नहीं है तो कृपया संबंधित अधिकारी को अग्रसारित करें ।

संलग्नक : आर.टी.आई. आवेदन की प्रति ।



(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690

प्रतिलिपि:-

श्री हरीश चन्द्र जांगिड़,

- सूचना उक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी ।